

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक:एफ.1(4)(1)नपा/रानिआ/14/ 8247

दिनांक: 09.10.2020

आदेश

राज्य में नगरीय निकायों के सभी निर्वाचनों में अधीक्षण, निर्देशन तथा नियन्त्रण की शक्तियां भारत के संविधान के अनुच्छेद 243ZA के अन्तर्गत राज्य निर्वाचन आयोग में निहित हैं,

राजस्थान राज्य में होने वाले निकाय चुनावों में नगरपालिका अधिनियम 2009 के अन्तर्गत निर्वाचन लड़ने के लिए नाम निर्देशन प्रस्तुत के संबंध में ऐसे व्यक्तियों के मामले भी आ सकते हैं जो कोविड-19 के पोजिटिव रिपोर्ट केस हैं। निकाय क्षेत्र में कोविड-19 के पोजिटिव रिपोर्ट केसेज की संपूर्ण सूचना जिला कलक्टर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पास उपलब्ध होती है।

राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 12(6) के अनुसार सदस्य पद एवं नियम 78(6) सपठित नियम 12(6) के अनुसार अध्यक्षीय पदों के लिए नामनिर्देशन पत्र अभ्यर्थी अथवा उसके प्रस्तावक द्वारा रिटर्निंग अधिकारी को व्यक्तिशः प्रस्तुत किया जाएगा।

नगरीय निकायों के सदस्यों के निर्वाचनों के शुद्ध एवं सुचारु रूप से संचालन के लिए कोविड-19 पॉजिटिव (Covid-19 positive) रिपोर्ट किये गये व्यक्तियों की स्वयं की सुरक्षा के लिए और ऐसा व्यक्ति समाज के अन्य नागरिकों को कोविड-19 की जोखिम में डालने का कारण न बने, इसके लिए ऐसे व्यक्ति द्वारा नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करने एवं तत्संबंधी विषयों को विनिर्दिष्ट करने की आवश्यकता है,

अतः राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान भारत के संविधान के अनुच्छेद 243ZA एवं नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 11 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों एवं इस निमित्त आयोग को समर्थ बनाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न आदेश जारी करता है:-

1. कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट किया गया व्यक्ति यदि सदस्य/अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने का आशय रखता है तो वह अपना नामनिर्देशन पत्र ऐसे प्रस्तावक, जो कोविड-19 पॉजिटिव न हो, के माध्यम से रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।
2. यदि अभ्यर्थी एवं उसका/उसके प्रस्तावक कोविड-19 पॉजिटिव है तो नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने हेतु निम्न प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा:-
 - i. नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के दिन से कम से कम एक दिन पूर्व जिला निर्वाचन अधिकारी को इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रेषित करेगा।
 - ii. जिला निर्वाचन अधिकारी ऐसे आवेदन के प्राप्त होने पर उसे संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को प्रेषित करेगा।

20.10.20

- iii. जिले का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ऐसे आवेदन के प्राप्त होने पर इस बात का समाधान (Satisfaction) करेगा कि क्या ऐसा कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट किया गया व्यक्ति अपने एवं अन्य व्यक्तियों के स्वास्थ्य को जोखिम में डाले बिना नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के लिए जा सकता है ? मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी इस संबंध में अपना समाधान करने में उस व्यक्ति की आयु, स्वास्थ्य की दशा, संक्रमण का स्तर, उपचार की स्थिति, कोविड-19 के संबंध केन्द्र/राज्य सरकार की गाईडलाइंस, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी प्रोटोकॉल एवं इस हेतु उसे समर्थ करने के लिए आवश्यक अन्य सभी बातों का ध्यान रखेगा।
- iv. यदि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का इस संबंध में यह समाधान हो जाता है कि ऐसा कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट किया गया व्यक्ति अपने एवं अन्य व्यक्तियों के स्वास्थ्य को जोखिम में डाले बिना नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के लिए भेजा जा सकता है तो इसकी सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रेषित करेगा।
- v. जिला निर्वाचन अधिकारी के निदेशानुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ऐसे कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट किये गये व्यक्ति को केन्द्र सरकार, राज्य सरकार की गाईडलाइन एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रोटोकॉल की पूर्ण पालना सुनिश्चित करते हुये तथा सुरक्षा के समस्त उपाय अपनाते हुये अपने द्वारा नामनिर्दिष्ट अधीनस्थ अधिकारी के साथ नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के लिए भिजवायेगा।
- vi. चिकित्सा विभाग के नामनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा लाया गया ऐसा कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट किया गया व्यक्ति नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष उपस्थित होकर अपना नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत कर सकेगा।
- vii. रिटर्निंग अधिकारी पीपीई किट, जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी, पहनकर ऐसे व्यक्ति का नामनिर्देशन पत्र पर्याप्त दूरी रखते हुये अलग कमरे में प्राप्त करेगा। ऐसा नामनिर्देशन पत्र प्राप्त होने पर ठीक से सेनेटाईज किया जायेगा।
- viii. नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ऐसे कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट किये गये व्यक्ति चिकित्सा विभाग के नामनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के समस्त प्रोटोकॉल का पालन करते हुये वापस यथा स्थान पहुँचाया जायेगा।
3. नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा के दौरान कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट किए गये अभ्यर्थी की ओर से प्रस्तावक या अभ्यर्थी द्वारा लिखित में प्राधिकृत व्यक्ति, जो कोविड-19 पॉजिटिव नहीं है, उपस्थित रह सकता है। यदि ऐसा कोविड-19 पॉजिटिव अभ्यर्थी संवीक्षा में स्वयं ही व्यक्तिशः उपस्थित होने की अपेक्षा करता है तो बिन्दु संख्या-2 में विहित की गई प्रक्रिया का यथा आवश्यक परिवर्तन सहित अनुपालन किया जाएगा।
4. कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट किया गया अभ्यर्थी यदि अपना नाम निर्देशन पत्र वापस लेना चाहता है तो वह अपने प्रस्तावक, जो कोविड-19 पॉजिटिव नहीं है, के माध्यम से नाम वापस ले सकता है। यदि ऐसा कोविड-19 पॉजिटिव अभ्यर्थी अपना नाम निर्देशन पत्र स्वयं ही व्यक्तिशः उपस्थित होकर वापस लेना चाहता है तो बिन्दु संख्या-2 में विहित की गई प्रक्रिया का यथा आवश्यक परिवर्तन सहित अनुपालन किया जाएगा।

20.9.21

5. इस आदेश के अन्तर्गत नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करने/संवीक्षा/नाम वापसी की कार्यवाही के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया में होने वाले व्यय का आंकलन चिकित्सा विभाग द्वारा किया जायेगा तथा ऐसा आंकलित व्यय स्वयं अभ्यर्थी द्वारा वहनीय होगा।
6. शंका समाधान के लिए यह भी स्पष्ट किया जाता है कि कोविड-19 के संबंध में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा जारी गाईडलाइन एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी प्रोटोकॉल में या अन्य तत्समय प्रभावी विधि या नियम के अन्तर्गत यदि ऐसा कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट किया गया व्यक्ति सरकारी/प्राइवेट अस्पताल या होम आइसोलेशन में से नहीं हटाया जा सकता, तो उस पर यह आदेश कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं रखेगा और मात्र इस आदेश के आधार पर ऐसे कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट किये गये व्यक्ति को सरकारी/प्राइवेट अस्पताल या होम आइसोलेशन में से नहीं हटाया जायेगा।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव

क्रमांक: एफ.1(4)(1)नपा/रानिआ/14/ 8248

दिनांक: 09.10.2020

प्रतिलिपि जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) जयपुर, जोधपुर एवं कोटा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव